संख्या-114/2024/I/701826/2024/71-1002/36/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 29 जुलाई, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 60 यू०जी० सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत मेडिकल रिकार्ड सेक्शन के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/नजारत/2023/917, दिनांक 13.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 60 यू०जी० सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत मेडिकल रिकार्ड सेक्शन के निर्माण कार्य का संशोधित विस्तृत आगणन , जिसमे भूतल का क्षेत्रफल 558.72 वर्ग मीटर एवं प्रथम तल का क्षेत्रफल 558.72 वर्ग मीटर एवं द्वितीय तल का क्षेत्रफल 365.36 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल 1482.80 वर्ग मीटर के निर्माण कार्य एवं 03 मीटर चौडाई के सेटबैक का प्राविधान करते हुए पूर्व स्वीकृत आगणन की विशिष्टियों एवं स्वीकृत धनराशि रू० 582.30 लाख की सीमा के अनुसार गठन कर उपलब्ध कराते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-85/2023/I/328981/2023-71-1002/36/2023, दिनांक 08.06.2023 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 582.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की प्रथम किश्त के रूप रू0 291.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 60 यू०जी० सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत मेडिकल रिकार्ड सेक्शन के निर्माण कार्य हेतु संशोधित आगणन के सापेक्ष पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 582.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08.06.2023 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 291.15 लाख को परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में समायोजित किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

2. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त रू0 2.00 लाख लाख की धनराशि ली गयी है , जिसे प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य किया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाए।

3. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एंव विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

5. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक/प्रधानाचार्य जायेगा कि यह कार्य पूर्व द्वारा सुनिश्चित किया में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यकम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2022-23 की अनुसूची दरों, डी0एस0आर0-2021 पर प्रस्तावित की गयी है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

9. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

11. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

12. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

14. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-528/दस-2023-24, दिनांक 28.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड), लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चन्द्रशेखर मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in